


आदेश

05.06.2018

यह पत्रावली बमुकाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाडमेर आगोर पर पेश हुई। वादीनी एवं प्रतिवागण अनुपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादीनी को दिनांक 06.10.2016 से लगातार प्रतिवादीगण के नॉटिस एवं तलबाना प्रस्तुत करने का समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई है एवं न्यायालय का अनावश्यक समय बर्बाद किया गया है। वादीनी ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की रूची नहीं ली और न ही प्रकरण को निपटाने में न्यायालय का सहयोग किया गया है। इस प्रकार वादीनी ने आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन किया गया है।

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल-सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।


सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

